तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोविन्दराम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 104/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-052022	अपीलार्थी गोविन्दराम पुत्र नारायणराम जाति सुथार निवासी गांव बिसलपुर तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.03.2022 में (1) उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर के द्वारा जिला कलक्टर जोधपुर को जारी पत्र कमांक राजस्व/2022/486 दिनांक 11.03.2022 की सत्यापित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीया उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 663 दिनांक 20.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, न्यायिक अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी गोविन्दराम को इस कार्यालय के पत्र संख्या 422 दिनांक 31.03.22 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि सार्वजनिक भूमि पर वीर तेजाजी मंदिर निर्माण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी दक्षिण जोधपुर के मार्फत प्राप्त शिकायत के संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रकियाधीन है अतः आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचित किया जाकर, आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित प्रकरण प्रकियाधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। चूंकि वर्तमान में उक्त [illegible] न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनि[illegible] के तहत सूचना देय नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी पोषणीय नहीं होने के कारण [illegible] की जाती है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:55:47 IST
Reason: SelfAttested